/font>

14.47 hrs.

The Lok Sabha re-assembled at forty-seven minutes past Fourteen of the Clock.

(Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House shall now take up Matters under Rule 377.

MATTERS UNDER RULE 377

Title: Need to Improve Telephone Services in Banaskantha Parliamentary Constituency, Gujarat.

श्री हरिभाई चौधरी (बनासकांठा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने संसदीय क्षेत्र के बनासकांठा में टेलीफोन व्यवस्था की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस क्षेत्र में टेलीफोन एक्सचेंज की क्षमता न बढ़ाने से प्रतीक्षा सूची बहुत ज्यादा है और कई क्षेत्रों में नौ साल से आवेदन किये जाने के बाद अभी तक टेलीफोन नहीं लगे हैं एवं गत तीन सालों में कोई भी नया टेलीफोन एक्सचेंज नहीं लगा है और जो टेलीफोन लगा है, वह खराब होने पर कई महीनों तक खराब ही रहता है। इस सम्बन्ध में मैं यहां के टेलीफोन अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा किये जाने की आवश्यकता है। अगर कोई कमी मिलती है तो सरकार से अनुरोध है कि कमियों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में टेलीफोन एक्सचेंज आवश्यकतानुसार बनाने एवं खराब टेलीफोन को समय पर ठीक किये जाने की व्यवस्था की जाये।